न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 446 / 2020

तारीख रजु 22.01.2020

उनवान

1 दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी जरिए मानद मंत्री श्री महेन्द्र कुमार पाटनी प्रबन्ध कारणी कमेटी दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन जिला करौली

——प्रार्थी()

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर करौली
2 तहसीलदार हिण्डौन सिटी जिला करौली
3 मुख्य चिकित्सा अधिकारी करौली

——अप्रार्थीगण(03)

उपस्थितिः—

प्रार्थी की और से :— श्री एस.एल.चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल.आर. एक्ट 1956 द्वारा आराजी खसरा नं0 2180 रकबा 2.72 हैक्ट0 ग्राम नौरंगाबाद श्रीमहावीरजी तहसील हिण्डौन सिटी खातेदार मन्दिर श्रीमहावीरजी की भूमि के संदर्भ में

निर्णय

दिनांक—28.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 2180 एवं इसके चारो ओर दिगंबर जैन मन्दिर अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमियां हैं। खसरा नं. 2180 का कुल रकबा 2.72 हैक्ट0 अर्थात लगभग 11 बीघा का है जिसमें से 31 ऐयर भूमि प्रार्थी मंदिर ने मालियों को बदल पत्र के तहत रजिस्ट्री करा दी है। शेष 2.41 हैक्ट0 भूमि मौके पर है जिसकी जमाबंदी और ट्रेस की नकल संलग्न है। ग्रामवासियों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले। इसलिए ग्रावासियों के एवं प्रशासन के कहने पर मंदिर प्रबंधन ने राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र बनाने हेतु 1 हैक्ट0 अर्थात 4 बीघा भूमि राज्य सरकार को समर्पण कर दी। 4 बीघा जमीन प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिनांक 29.08.2017 द्वारा इस भूमि को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीमहावीरजी के तहसील हिण्डौन के चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क आवंटित कर दी गई। खसरा नं0 2180 रकबा 2.72 है0 में से 1 है0 भूमि समर्पण के पश्चात प्रार्थी मंदिर की 1.72 है0 भूमि मौके पर शेष है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 बीघा भूमि पर चिकित्सालय भवन का पूर्ण निर्माण कार्य हो चुका है। इस भूमि के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अभी 7 बीघा जमीन शेष रही है। प्रार्थी मंदिर ने सरकार के हक में दिनांक 26.12.2016 को अपर्ण पत्र लिखा था। जिसमें प्रार्थी ने इस भूमि में पश्चिम की तरफ वाली 1 है0 भूमि सार्वजनिक सीएचसी वास्ते बिना किसी प्रतिफल के दे रहा है। दिनांक 29.08.2017 को माननीय जिला कलक्टर महोदय करौली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीमहावीरजी को आवंटन कर दिया। जिसका 2857 / 2180 नया खसरा नंबर बनाया गया। उक्त नंबर पर सीएचसी को आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। मौके पर वादी अपने खसरा नंबर 2180 की शेष भूमि की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी का कार्य कराकर शेष भूमि का उपयोग करना महसूस किया इसलिए प्रार्थी ने तहसीलदारजी हिण्डौन को सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसकी फीस दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

8.12.2018 को सीमाज्ञान के लिए जमा करा दी एवं सीमाज्ञान के आदेश दिये गये। दिनांक 05.02.2019 को संबंधित गिरदावर पटवारी प्रार्थी मैनेजर एवं अन्य की उपस्थिति पर सीमाज्ञान किया गया। खसरा नं0 2180 पर 4 भाग बन गये जो वाद के बिन्दू संख्या 7 में अंकित है। अगर पैरा नं0 7 में दर्ज चारों भूमियों में से नंबर 2 व 3 की भूमि को जोडा जाता है तो वह 4 बीघा है इसी पर सीएचसी बन चुकी है इसलिए नंबर 2 व 3 की भूमि की नई नाम करके इनका नया नंबर सीएचसी के नाम दर्ज किया जावे। इसी प्रकार प्रार्थी मंदिर भूमि के लिए पैरा 7 में दर्ज नंबर 1 व 4 की भूमि को जोडा जावे वह लगभग 7 बीघा बन जाती है। इसलिए इनके नये नंबर बनाकर प्रार्थी के नाम खातेदारी की जावे। उपरोक्त गलतफहमी और तरमीम की कार्यवाही नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज गलत हो जाने के कारण करानी पड रही है अगर नक्शे में तैयार करते समय सीएचसी के लिए 4 बीघा भूमि का इन्द्राज शेष भूमि को छोडकर किया जाता है तो किसी संसोधन की आवश्यकता नहीं थी। दिनांक 05.02.2019 को राजस्व कर्मचारीयों द्वारा मौके पर नापतौल किये जाने के बाद पता चला हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश हैं। उभयपक्ष अपने वास्तिवक कब्जे पर काबिज है। इसलिए कब्जे के विषय में कोई दादरसी नहीं चाही है नाही किसी प्रकार का कब्जा अदल–बदल किया जाना है इसलिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र करेक्शन ऑफ एन्टीज के लिए राजस्थान टेन्डेन्सी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र ट्रेस में संसोधन के लिए और मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर 2180 के दावे में दिये गये पैरा नंबर 7 में दर्ज तथ्यों के अनुसार खसरा नं0 2180 के 4 टुकडे किये जाये जिसमें 2 और 3 नंबर के टुकडे जिनका रकबा 4 बीघा होगा। जो सीएचसी श्रीमहावीरजी के नाम रहेंगे तथा टुकडा नंबर 1 और 4 जिनका रकबा लगभग 7 बीघा होगा इनकी भूमि वादी मंदिर के नाम रहेगी। उक्त दावा डिक्री किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

दर्ज रजिस्टर किया गया और प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जो वाद तामील शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी नंबर 3 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 में वादी का वाद डिक्री किये जाने में प्रतिवादी नंबर 3 को कोई आपत्ति नहीं होना का तथ्य अपने जबाव दावा में अंकित किया है। इसी प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 व 2 की ओर से जबाव दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद पत्र के बिन्दू संख्या 13 के जबाव में अंकित किया है कि दर्ज अनुतोष वादी को दिये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है मगर मंदिर को दिये जाने वाले रकबे में से पहुंच मार्ग कायम करते हुए डिक्री करने में प्रतिवादी 1 व 2 को कोई आपत्ति नहीं है। जबाव दावा प्रतिवादी नंबर 1, 2 व 3 को शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आराजी खसरा नंबर 2180 रकबा 2.72 हैक्ट0 वाके ग्राम नौरंगाबाद तहसील हिण्डौन की संपूर्ण भूमि श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसमें 1 है0 भूमि सीएचसी श्रीमहावीरजी के निर्माण हेतु समर्पित की गई थी। जिसे श्रीमान जिला कलक्टर करौली द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीमहावीरजी को आवंटित किया गया। शेष भूमि श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी की खातेदारी में रही परन्तु तहसीलदार हिण्डौन की मौका रिपोर्ट अनुसार सीएचसी श्रीमहावीरजी का निर्माण नक्शे में की गई तरमीम से भिन्न जगह कर दिया गया चूंकि सीएचसी निर्माण हो चुका है तथा अप्रार्थीगण को नक्शे की तरमीम में संसोधन पर कोई आपत्ति नहीं है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन (भूमिधारी) को आदेश दिये जाते है कि मौका अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में सीएचसी श्रीमहावीरजी व दिगम्बर अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी की भूमि की तरमीम की जाकर नवीन खसरा नंबर डाले जावें तथा सीएचसी श्रीमहावीरजी तक पहुंच हेतु 30 रास्ता अंकित करते हुए रास्ते को भी अलग नंबर डालते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.06 18:09:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: